



INTERNATIONAL JOURNAL OF TRENDS IN EMERGING RESEARCH AND DEVELOPMENT

INTERNATIONAL JOURNAL OF TRENDS IN EMERGING RESEARCH AND DEVELOPMENT

Volume 3; Issue 4; 2025; Page No. 294-300

Received: 11-04-2025

Accepted: 19-05-2025

Published: 10-07-2025

ग्वालियर जिले के सिरोल विकास खंड में प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति

¹Jyoti Sharma and ²Dr. Santosh Kumar Tripathi

¹Research Scholar, Vikrant University, Gwalior, Madhya Pradesh, India

²Professor, Vikrant University, Gwalior, Madhya Pradesh, India

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20074081>

Corresponding Author: Jyoti Sharma

सारांश

यह पेपर मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में प्राइमरी शिक्षा की स्थिति की जांच करता है, जिसमें शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 को लागू करने और उसके असर पर फोकस किया गया है। रिसर्च में सिरोल डेवलपमेंट ब्लॉक में एक सिस्टमैटिक सैपलिंग मेथड का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 80 स्टूडेंट्स के बैलेंस्ड सैपल में से एनरोलमेंट पैटर्न, ड्रॉपआउट रेट और एकेडमिक अचीवमेंट को एनालाइज करने के लिए चार प्राइमरी स्कूलों को चुना गया है। डेटा कलेक्शन में स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर, टीचर ऑब्जर्वेशन और स्कूल रिकॉर्ड शामिल थे, जो एजुकेशनल लैंडस्केप का एक पूरा व्यू देते हैं। नतीजे ग्वालियर जिले में बराबर और क्वालिटी वाली प्राइमरी शिक्षा पाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को दूर करने, टीचर ट्रेनिंग को बेहतर बनाने और कम्युनिटी की भागीदारी को मजबूत करने के लिए टारगेटेड इंटरवेंशन की ज़रूरत पर ज़ोर देते हैं।

मूल शब्द: अधिनियम, ग्रामीण, सहायता, सरकारी, प्राथमिक।

1. प्रस्तावना

प्राइमरी शिक्षा पूरे एजुकेशनल सिस्टम की नींव होती है, और इसका सही तरीके से काम करना बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ग्वालियर जिले में, प्राइमरी स्कूल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार, छह से चौदह साल के बच्चों को बेसिक शिक्षा देने में अहम भूमिका निभाते हैं। जिले में प्राइमरी स्कूलों की स्थिति शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने में हुई प्रगति और उन चुनौतियों दोनों को दिखाती है जो प्राइमरी शिक्षा की क्वालिटी और समानता को प्रभावित करती हैं। ग्वालियर जिले में शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण इलाकों में प्राइमरी स्कूलों का एक बड़ा नेटवर्क फैला हुआ है। इन स्कूलों में सरकारी प्राइमरी स्कूल, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान और प्राइवेट बिना सहायता वाले स्कूल शामिल हैं। सरकारी प्राइमरी स्कूलों की संख्या सबसे ज़्यादा है और ये मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के बच्चों को शिक्षा देते हैं। शहरी इलाकों में, प्राइवेट स्कूलों की अच्छी-खासी मौजूदगी है और वे अक्सर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी क्वालिटी के कारण छात्रों को आकर्षित

करते हैं, जबकि ग्रामीण इलाके प्राइमरी शिक्षा के लिए ज़्यादातर सरकारी स्कूलों पर निर्भर रहते हैं।

एडमिशन के मामले में, ग्वालियर जिले के प्राइमरी स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रमों, अनिवार्य शिक्षा प्रावधानों और आरटीई एक्ट के तहत शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं के कारण पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म, स्कॉलरशिप और मिड-डे मील योजना जैसी पहलुओं ने एडमिशन और अटेंडेंस में सुधार किया है, खासकर वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों में। हालांकि, एडमिशन के आंकड़ों में सुधार के बावजूद, नियमित अटेंडेंस और स्कूल में बने रहने से जुड़े मुद्दे बने हुए हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहाँ आर्थिक दबाव और मौसमी पलायन स्कूलिंग की निरंतरता को प्रभावित करते हैं। जिले भर में प्राइमरी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं की स्थिति मिली-जुली है। आरटीई एक्ट के तहत अनिवार्य किए गए स्कूल भवन, क्लासरूम, पीने का पानी और सैनिटेशन सुविधाओं जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक कई सरकारी प्राइमरी स्कूलों की पहुँच है। फिर भी, इन सुविधाओं की क्वालिटी और पर्याप्तता में अंतर मौजूद है। कुछ स्कूल अभी भी अपर्याप्त क्लासरूम, कम फर्नीचर, खेल के मैदान

की कमी और सीमित शिक्षण-सामग्री के साथ चल रहे हैं। ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियाँ छोटे बच्चों के लिए सीखने का अनुकूल माहौल बनाने में एक बड़ी चुनौती पेश करती हैं।

शिक्षकों की उपलब्धता और गुणवत्ता प्राइमरी शिक्षा की प्रभावशीलता के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं। ग्वालियर जिले में, आरटीई मानदंडों के अनुसार प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के प्रयास किए गए हैं। हालांकि कई स्कूल ज़रूरी छात्र-शिक्षक अनुपात को पूरा करते हैं, लेकिन अन्य स्कूलों में अभी भी शिक्षकों की कमी है, जिससे मल्टी-ग्रेड शिक्षण पद्धतियाँ अपनाई जा रही हैं। शिक्षकों की अनुपस्थिति, व्यावसायिक विकास के सीमित अवसर, और अपर्याप्त विषय-विशिष्ट प्रशिक्षण भी कक्षा शिक्षण की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। प्राइमरी स्तर पर शिक्षण पद्धतियों और सीखने के परिणामों में सुधार के लिए निरंतर शिक्षक प्रशिक्षण और शैक्षणिक सहायता आवश्यक है। ग्वालियर जिले के प्राइमरी स्कूलों में पाठ्यक्रम का कार्यान्वयन और शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाएँ काफी हद तक राज्य शिक्षा अधिकारियों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करती हैं। सीखने के अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए गतिविधि-आधारित शिक्षा, बाल-केंद्रित दृष्टिकोण, और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन शुरू किया गया है। हालांकि, इन शैक्षणिक सुधारों का वास्तविक कार्यान्वयन स्कूलों में अलग-अलग है। कई सरकारी स्कूलों में, पारंपरिक शिक्षण विधियाँ अभी भी हावी हैं, और बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान में सीखने के परिणाम अपेक्षित स्तर से नीचे हैं, जो लक्षित शैक्षणिक हस्तक्षेपों की आवश्यकता को दर्शाता है।

आरटीई अधिनियम के तहत स्कूल प्रबंधन समितियों (SMCs) के गठन के माध्यम से स्कूल प्रबंधन और शासन को महत्व मिला है। ग्वालियर जिले में, अधिकांश सरकारी प्राइमरी स्कूलों में SMCs का गठन किया गया है और उनसे माता-पिता और समुदाय के सदस्यों को स्कूल के कामकाज में शामिल करने की उम्मीद की जाती है। जबकि कुछ समितियाँ स्कूल की गतिविधियों की निगरानी, धन के उपयोग और नामांकन अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं, अन्य जागरूकता, प्रशिक्षण या प्रेरणा की कमी के कारण निष्क्रिय रहती हैं। जवाबदेही सुनिश्चित करने और आरटीई प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। जिले में प्राइमरी स्कूलों की स्थिति का एक और महत्वपूर्ण पहलू समानता और समावेशन है। लड़कियों, विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों और सामाजिक रूप से वंचित समुदायों से संबंधित बच्चों सहित हाशिए पर पड़े समूहों के बच्चों का नामांकन और उन्हें स्कूल में बनाए रखने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। कुछ स्कूलों में संसाधन कक्ष, समावेशी शिक्षा पद्धतियाँ और सहायता सेवाएँ शुरू की गई हैं; हालांकि, कवरेज सीमित है। लैंगिक असमानताएँ, हालांकि कम हो रही हैं, फिर भी कुछ ग्रामीण इलाकों में बनी हुई हैं, जो लक्षित हस्तक्षेपों की आवश्यकता पर जोर देती हैं। कुल मिलाकर, ग्वालियर जिले में प्राइमरी स्कूलों की स्थिति शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 द्वारा संचालित पहुँच और नामांकन के मामले में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाती है। साथ ही, बुनियादी ढाँचे, शिक्षकों की उपलब्धता, शिक्षण की गुणवत्ता, सीखने के परिणाम और सामुदायिक भागीदारी से संबंधित चुनौतियाँ वांछित शैक्षणिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा डाल रही हैं। प्रभावी पॉलिसी लागू करके, रेगुलर मॉनिटरिंग और लोकल प्लानिंग के ज़रिए इन समस्याओं को हल करना प्राइमरी शिक्षा को मजबूत करने और यह पक्का करने के लिए ज़रूरी है कि ग्वालियर जिले में हर बच्चे को आरटीई एक्ट के

तहत सोची गई क्वालिटी वाली शुरुआती शिक्षा मिले।

2. साहित्य की समीक्षा

सारा ड्राइडन-पीटरसन (2016) ^[1] इस लेख में, मैं तुलनात्मक शिक्षा के मूल में एक सवाल की जांच करती हूँ-सभी के लिए शिक्षा के अधिकार को कैसे साकार किया जाए और समाज में भविष्य की भागीदारी के लिए उस शिक्षा का उपयोग करने के अवसर कैसे सुनिश्चित किए जाएँ। मैं ऐसा द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर वर्तमान तक शरणार्थी शिक्षा की जांच करके करती हूँ, जिसमें दस्तावेज़ों के एक मूल डेटा सेट (n=214) और अर्ध-संरचित साक्षात्कारों (n=208) का विश्लेषण शामिल है। डेटा बताता है कि शरणार्थी बच्चे सार्वभौमिक मानवाधिकारों के वैश्विक वादे, राष्ट्र-राज्यों के भीतर नागरिकता अधिकारों की परिभाषा, और रोज़मर्रा के व्यवहार में इन अधिकारों के सेट की प्राप्ति के बीच कैसे फंसे हुए हैं। वैचारिक रूप से, मैं राष्ट्र-राज्यों के भीतर मानक आकांक्षाओं, संहिताओं और सिद्धांतों, और प्रवर्तन तंत्र के बीच बेमेल को प्रदर्शित करती हूँ, जो शरणार्थियों की शिक्षा, काम करने और समाज में भाग लेने के अधिकारों को सक्रिय करने की क्षमताओं को कम करता है।

गीता बी. नंबिसन (2011) ^[2] पिछले कुछ सालों में कई लोकल संगठन सामने आए हैं जिनका मकसद भारत में गरीबों के लिए स्कूल चुनने की आज़ादी और प्राइवेट स्कूलिंग को बढ़ावा देना है। लिबर्टी इंस्टीट्यूट, सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी और एजुकेशन ट्रस्ट भारत में स्कूल चुनने की आज़ादी और प्राइवेटाइजेशन की वकालत करने वाले मुख्य केंद्र हैं। गरीबों के लिए प्राइवेट उद्यमियों द्वारा स्थापित स्कूलों के लिए 'बजट प्राइवेट स्कूल' या 'माइक्रो स्कूल' जैसे नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। यह चैप्टर उन बातों और चर्चाओं के प्रवाह का वर्णन करता है, खासकर उन लोगों का जो भारत में सभी को उच्च-गुणवत्ता वाली प्राइमरी शिक्षा देने की समस्या के समाधान के रूप में स्कूल चुनने की आज़ादी और प्राइवेट स्कूलिंग की वकालत करते हैं। यह ट्रांसनेशनल एडवोकेसी नेटवर्क द्वारा निर्भाई गई भूमिका और यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले एक व्यक्ति, जेम्स टूली की खास गतिविधियों की पहचान करता है, जो इन प्रवाहों को मैनेज और ड्राइव करते हैं।

पी. एस. ऐथल (2019) ^[3] किसी देश में स्कूल और कॉलेज शिक्षा देने के लिए व्यवस्थित शिक्षा नीति ज़रूरी है क्योंकि शिक्षा समाज में प्रगति लाती है। अलग-अलग देश स्कूल और कॉलेज शिक्षा के जीवन चक्र के दौरान अलग-अलग चरणों के साथ अलग-अलग शिक्षा प्रणालियों का उपयोग करते हैं। हाल ही में, भारत सरकार को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के पूर्व अध्यक्ष डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझाई गई एक मसौदा शिक्षा नीति मिली। समिति ने मौजूदा भारतीय शिक्षा नीति में क्रमिक और बड़े बदलावों का सुझाव दिया और 2030 तक देश में प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश दिए। यह देश में चौथी शैक्षिक उद्योग क्रांति (EIR 4.0) के माध्यम से सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के चौथे सतत विकास लक्ष्यों के उद्देश्यों के अनुरूप भी है। यह पेपर पिछले कुछ वर्षों के भारतीय उच्च शिक्षा नीतियों और उनके परिणामों, मुख्य विशेषताओं और सामग्री विश्लेषण के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के वर्तमान मसौदे पर उनके फोकस पर संबंधित साहित्य की समीक्षा करता है। यह पेपर मसौदे में प्रस्तावित विभिन्न नीतियों पर प्रकाश डालता है, जिसमें उच्च शिक्षा अनुभाग पर विशेष जोर दिया गया है और उनकी तुलना पिछली

नीतियों से की गई है। विश्लेषण NEP 2019 प्रस्ताव के निजी और सार्वजनिक HEI पर सुविधाओं और प्रतिबंधों के संदर्भ में संभावित प्रभावों की भी तुलना करता है। नई नीति की ताकत और कमजोरियों की पहचान विभिन्न हितधारकों के संबंध में की गई है और उन्हें सूचीबद्ध किया गया है। नीति को साकार करने और इसे दोष मुक्त और प्रभावी बनाने के लिए सार्वजनिक दृष्टिकोण से और देश की समृद्धि के लिए उचित सुझाव दिए गए हैं।

किशोर कुमार (2020) [4] सभी क्षेत्रों में विकास के लिए एक एजुकेशनल बैकअप की ज़रूरत होती है, जिसके लिए एक मज़बूत एजुकेशनल सिस्टम की ज़रूरत होती है। पिछले 50 सालों में साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की के साथ-साथ एप्लीकेशंस में बड़े बदलाव देखे गए हैं। आज भी तेज़ तरक्की के कारण यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि आने वाले समय में इसका इस्तेमाल कैसा होगा। इसके लिए चुनौतियों से निपटने के लिए एक बेहतर एजुकेशनल स्ट्रक्चर की ज़रूरत है। दुनिया भर में इंसानी ताकत में भारत का हिस्सा 1/6 से ज़्यादा है और इसे धरती पर इंसानी ताकत के हिसाब से ग्लोबल डेवलपमेंट में मज़बूती से योगदान देना चाहिए। भारत ने शिक्षा नीति में अपग्रेडेशन की कमी पर धीरे-धीरे प्रतिक्रिया दी और 34 साल के गैप के बाद एक नई नीति लेकर आया। भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 प्राइमरी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा, वोकेशनल और टेक्निकल शिक्षा और इंटरनेट-आधारित ई-लर्निंग के एक नए मॉडल के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करती है। इस नीति के पांच मुख्य स्तंभों (यानी, पहुंच, समानता, सामर्थ्य, जवाबदेही और गुणवत्ता) को भारत की नई शिक्षा प्रणाली बनाने के लिए ध्यान में रखा गया है ताकि संयुक्त राष्ट्र (UN) 2030 के सतत विकास के सिद्धांतों के साथ एक सही तालमेल बनाया जा सके। हालांकि, इस नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक बदलाव की आवश्यकता है। यह पेपर NEP 2020 के विभिन्न पहलुओं और यह UN सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) 2030 के लक्ष्यों के साथ कैसे मेल खाता है, इस पर जानकारी देता है। यह पेपर देखता है कि भारत को उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सावधानी के साथ कैसे कदम बढ़ाना चाहिए। यह पेपर कुछ प्रमुख कमियों और कार्यान्वयन चुनौतियों को प्रस्तुत करता है जिन्हें दुनिया को मूल्य प्रदान करने के उद्देश्य से "सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा" को सही मायने में बढ़ावा देने के लिए संबोधित करने की आवश्यकता है।

पायल शाह (2015) [5] स्कूली शिक्षा के "ब्लैक बॉक्स" में गहराई से जाने से हमें उस विरोधाभासी वास्तविकता को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है कि लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा एक साथ सशक्त बनाने वाली और शक्तिहीन बनाने वाली हो सकती है। तुलनात्मक शिक्षा के क्षेत्र में नवीन अनुसंधान पद्धतियों को विकसित करने में हालिया रुचि के बावजूद, महत्वपूर्ण और सहभागी अनुसंधान पद्धतियों के उपयोग पर कम ध्यान दिया गया है और इस पर कम विचार किया गया है कि स्कूल प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के तरीके के रूप में जो शक्तिहीनता/सशक्तिकरण की ओर ले जाती हैं। यह लेख पश्चिमी भारत में ग्रामीण, हाशिए पर पड़ी, किशोर उम्र की लड़कियों के साथ फोटोवॉयस पद्धति के उपयोग का विवरण देता है, जिसमें सहयोग, शक्ति साझाकरण और "आवाज़" के उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया गया है। गुजरात में लड़कियों के एक ग्रुप की केस स्टडी के ज़रिए, यह आर्टिकल बताता है कि फोटोवॉयस मेथोडोलॉजी स्कूलिंग और लड़कियों के एम्पावरमेंट के बीच के रिश्ते को समझने के लिए एक ज़रूरी एनालिटिकल तरीका कैसे

हो सकती है, और फोटोवॉयस एक मेथड के तौर पर खुद लड़कियों के एम्पावरमेंट प्रोसेस में कैसे योगदान दे सकती है।

3. शोध पद्धति

3.1 अध्ययन की जनसंख्या

इस अध्ययन में मध्य प्रदेश के ग्वालियर शैक्षिक डिस्ट्रिक्ट के तहत चलने वाले सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले सभी लड़के और लड़कियां शामिल हैं। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (UDISE+) और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस, ग्वालियर के रिकॉर्ड के अनुसार, जिले में ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में काफी संख्या में प्राथमिक स्कूल हैं, जिनमें अलग-अलग सामाजिक-आर्थिक बैकग्राउंड के बच्चे पढ़ते हैं। ये स्कूल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार चलते हैं, जो 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को ज़रूरी बनाता है। इस आबादी में क्लास I से V तक के छात्र, शिक्षक और स्कूल का माहौल शामिल है जो सामूहिक रूप से जिले में प्राथमिक शिक्षा की कुल स्थिति को दिखाता है।

हालांकि, व्यवस्थित जांच के मकसद से और काम को आसान बनाने के लिए, यह अध्ययन ग्वालियर जिले के सिरोल डेवलपमेंट ब्लॉक के प्राथमिक स्कूल के छात्रों की आबादी पर फोकस करती है। यह आबादी नामांकन पैटर्न, ड्रॉपआउट दर, शैक्षणिक उपलब्धि और प्राथमिक लेवल पर लागू की गई शैक्षिक योजनाओं और नए तरीकों के असर की जांच करने के लिए एक प्रतिनिधि आधार प्रदान करती है।

3.2 अध्ययन का नमूना

इस अध्ययन का नमूना रिसर्च के उद्देश्यों को पूरा करने और नतीजों की विश्वसनीयता पक्का करने के लिए एक व्यवस्थित और रिप्रेजेंटेटिव तरीके से चुना गया था। यह अध्ययन ग्वालियर शैक्षिक डिस्ट्रिक्ट के सिरोल डेवलपमेंट ब्लॉक में की गई थी, जिसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट, 2009 के तहत काम करने वाले ग्रामीण और शहरी दोनों प्राथमिक स्कूल शामिल हैं। अध्ययन के लिए, कुल चार प्राथमिक स्कूल चुने गए, जिनमें से दो स्कूल ग्रामीण इलाकों के थे और दो स्कूल सिरोल डेवलपमेंट ब्लॉक के शहरी इलाकों के थे। स्कूलों का चुनाव रैंडम सैंपलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके किया गया था ताकि हर स्कूल को अध्ययन में शामिल होने का बराबर मौका मिले, जिससे सिलेक्शन बायस कम हो सके। चुने गए स्कूलों से कुल 80 छात्रों का नमूना लिया गया। नमूना में 40 लड़के और 40 लड़कियाँ थीं, जो प्राथमिक लेवल (कक्षा I से V) में पढ़ रहे थे। अध्ययन के उद्देश्यों के अनुसार, लिंग प्रतिनिधित्व के साथ-साथ ग्रामीण-शहरी संतुलन का भी ध्यान रखा गया। डेटा में एकरूपता और तुलनात्मकता बनाए रखने के लिए, हर स्कूल से बराबर संख्या में लड़के और लड़कियों को रैंडमली चुना गया।

3.3 इस प्रकार, अध्ययन के अंतिम नमूना वितरण को इस तरह से बताया जा सकता है:

चुने गए कुल प्राथमिक स्कूल: 04

- ग्रामीण प्राथमिक स्कूल: 02
- शहरी प्राथमिक स्कूल: 02

चुने गए कुल छात्र: 80

- लड़के: 40
- लड़कियाँ: 40

चुना गया नमूना एक छोटे पैमाने के सर्वे रिसर्च के लिए पर्याप्त और सही माना गया, क्योंकि यह अध्ययन एरिया में प्राथमिक स्कूल के छात्रों की डेमोग्राफिक विशेषताओं को दिखाता था। लिंग और लोकेशन का संतुलित प्रतिनिधित्व नामांकन में निरंतरता, प्रतिधारण रेट, शैक्षणिक उपलब्धि और सिरोल डेवलपमेंट ब्लॉक, ग्वालियर जिले के ग्रामीण और शहरी प्राथमिक स्कूलों में शैक्षिक योजनाओं के प्रभाव का एक सार्थक तुलनात्मक विश्लेषण करने में मदद मिली।

3.4 उपकरण और यंत्र

इस अध्ययन में, सिरोल डेवलपमेंट ब्लॉक के प्राथमिक स्कूलों की मौजूदा स्थिति के बारे में ज़रूरी डेटा इकट्ठा करने के लिए प्राथमिक और सेकेंडरी तरीकों का इस्तेमाल किया गया। इन तरीकों को नामांकन, प्रतिधारण, शैक्षणिक परफॉर्मेंस और शैक्षिक स्कीम के असर का विश्लेषण करने के लिए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह की जानकारी इकट्ठा करने के लिए चुना गया था।

छात्रों के लिए प्रश्नावली प्राथमिक स्कूल के छात्रों से नामांकन, अटेंडेंस, शैक्षणिक एक्टिविटी और शैक्षिक स्कीम के साथ उनके अनुभवों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्रश्नावली तैयार की गई थी। प्रश्नावली में क्वांटिटेटिव विश्लेषण के लिए क्लोज्ड-एंडेड और लिफ्ट-स्केल दोनों तरह के सवाल शामिल थे। टीचर ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट टीचर्स से छात्रों के शैक्षणिक परफॉर्मेंस, प्रतिधारण, क्लासरूम एक्टिविटी में भागीदारी और शैक्षिक इनोवेशन के असर के बारे में जानकारी देने का अनुरोध किया गया था। इस चेकलिस्ट से छात्रों के जवाबों और शैक्षणिक रिकॉर्ड को क्रॉस-वेरिफाई करने में मदद मिली।

स्कूल रिकॉर्ड और रजिस्टर छात्रों की संख्या, प्रतिधारण रेट और शैक्षणिक परफॉर्मेंस पर सही डेटा इकट्ठा करने के लिए नामांकन रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर और परीक्षा परिणाम रिकॉर्ड की जांच की गई। सटीकता सुनिश्चित करने के लिए डेटा को UDISE+ (यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन) में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के साथ क्रॉस-चेक किया गया। सेकेंडरी डेटा सोर्स ग्वालियर के जिला शिक्षा कार्यालय की रिपोर्ट और पब्लिकेशन, और समग्र शिक्षा अभियान, मिड-डे मील योजना और अन्य RTE से संबंधित पहलों जैसी सरकारी योजनाओं का संदर्भ के लिए उपयोग किया गया। इन सभी तरीकों ने मिलकर एक व्यापक डेटासेट प्रदान किया, जिससे शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के संदर्भ में विश्वसनीय सांख्यिकीय विश्लेषण और निष्कर्षों की व्याख्या संभव हुई।

4. डेटा विश्लेषण

4.1 प्राथमिक शालाओ के छात्रों का नामांकन दर

नामांकन शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक है। RTE के तहत, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा ने प्राथमिक शालाओ में छात्रों के प्रवेश के टैंड पर काफी असर डाला है। यह सेक्शन ग्वालियर जिले के सिरोल डेवलपमेंट ब्लॉक के चुने हुए ग्रामीण और शहरी प्राथमिक शालाओ में पढ़ने वाले बालक और बालिकाओं के नामांकन दर को एनालाइज़ करता है।

तालिका 1: चुने हुए विद्यालयों में प्राथमिक शालाओ के छात्रों का कुल नामांकन

क्षेत्र	विद्यालयों की संख्या	कुल नामांकन
ग्रामीण	02	168
शहरी	02	182
कुल	04	350

तालिका 1 सिरोल डेवलपमेंट ब्लॉक के चुने हुए ग्रामीण और शहरी प्राथमिक शालाओ में विद्यार्थियों के कुल नामांकन को दिखाता है। चार चुने हुए विद्यालयों में कुल 350 विद्यार्थियों का नामांकन है, जिनमें से 168 विद्यार्थियों ग्रामीण विद्यालयों में और 182 विद्यार्थियों शहरी विद्यालयों में एनरोल हैं। डेटा साफ दिखाता है कि शहरी प्राथमिक शालाओ में ग्रामीण विद्यालयों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा नामांकन है। इस अंतर का कारण शहरी क्षेत्रों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं, बेहतर पहुंच और शिक्षा के बारे में माता-पिता में ज़्यादा जागरूकता हो सकती है।

हालांकि, ग्रामीण विद्यालयों में भी नामांकन का आंकड़ा काफी अच्छा है, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के पॉजिटिव असर को दिखाता है। मुफ्त शिक्षा, मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म और मिड-डे मील योजना के प्रावधानों ने ग्रामीण क्षेत्रों के माता-पिता को अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए प्रोत्साहित किया है। UDISE+ रिपोर्ट्स के अनुसार, पिछले दशक में मध्य प्रदेश में प्राथमिक शालाओ नामांकन में लगातार सुधार हुआ है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में।

ग्रामीण और शहरी नामांकन के बीच कम अंतर यह बताता है कि सरकारी पहल धीरे-धीरे शिक्षा के अंतर को कम कर रही हैं। यह यह भी बताता है कि जागरूकता कार्यक्रमों और विद्यालय-आधारित हस्तक्षेपों ने प्राथमिक शिक्षा में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने में योगदान दिया है। इस प्रकार, कुल नामांकन की स्थिति अध्ययन क्षेत्र में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने की दिशा में संतोषजनक प्रगति को दर्शाती है।

तालिका 2: प्राथमिक शालाओ के छात्रों का लिंग के अनुसार नामांकन

क्षेत्र	बालक	बालिकाएं	कुल
ग्रामीण	92	76	168
शहरी	98	84	182
कुल	190	160	350

तालिका 2 ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक शालाओ के विद्यार्थियों के लिंग के अनुसार से नामांकन को दिखाता है। कुल 350 नामांकन विद्यार्थियों में से 190 बालक और 160 बालिकाएँ हैं। ग्रामीण विद्यालयों में 92 बालक और 76 बालिकाएँ हैं। इसी तरह, शहरी विद्यालयों में 98 बालक और 84 बालिकाएँ नामांकन हैं। यह डेटा बताता है कि ग्रामीण और शहरी दोनों जगहों पर बालकों का नामांकन बालिकाओं से ज़्यादा है। हालांकि शिक्षा का अधिकार कानून शिक्षा तक समान पहुँच पर जोर देता है, फिर भी लिंग असमानता बनी हुई है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। सामाजिक सोच, घर की ज़िम्मेदारियाँ और आर्थिक मजबूरियाँ अक्सर बालिकाओं के नामांकन पर असर डालती हैं।

हालाँकि, शहरी विद्यालयों में बालिकाओं की ज्यादा संख्या बेहतर जागरूकता, सुरक्षा और शिक्षा सुविधाओं को दिखाती है। सरकारी योजनाएँ जैसे मुफ्त यूनिफॉर्म, बालिकाओं के लिए साइकिल और स्कॉलरशिप ने बालिकाओं के नामांकन पर सकारात्मक असर डाला है, जैसा कि UDISE+ डेटा में देखा गया है। शहरी क्षेत्रों में लिंग गैप का कम होना बताता है कि जब कम्युनिटी की जागरूकता का साथ मिलता है तो पॉलिसे इंटरवेंशन असरदार होते हैं। कुल मिलाकर, भले ही प्रगति हुई है, लेकिन डेटा बताता है कि बालिकाओं के नामांकन को और बढ़ाने के लिए, खासकर ग्रामीण प्राथमिक शालाओ में, खास कोशिशों की ज़रूरत है।

तालिका 3: प्राथमिक शालाओ के छात्रों का कक्षा के अनुसार नामांकन

कक्षा	ग्रामीण	शहरी	कुल
I	38	42	80
II	35	40	75
III	34	36	70
IV	31	33	64
V	30	31	61
कुल	168	182	350

तालिका 3 प्राथमिक शालाओ के विद्यार्थियों का कक्षा के अनुसार से नामांकन वितरण दिखाता है। यह साफ़ है कि ग्रामीण (38 विद्यार्थियों) और शहरी (42 विद्यार्थियों) दोनों विद्यालयों में कक्षा I में नामांकन सबसे ज्यादा है। यह शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत चलाए गए प्रवेश ड्राइव की सफलता को दिखाता है, जो स्कूलिंग के एंट्री-लेवल पर अनिवार्य प्रवेश को ज़रूरी बनाता है। जैसे-जैसे कक्षा लेवल बढ़ता है, नामांकन में धीरे-धीरे कमी देखी जा सकती है। कक्षा V तक, ग्रामीण विद्यालयों में नामांकन 30 विद्यार्थियों और शहरी विद्यालयों में 31 विद्यार्थियों तक गिर जाता है। यह ट्रेंड दिखाता है कि जैसे-जैसे विद्यार्थियों हायर प्राथमिक कक्षा में जाते हैं, ड्रॉपआउट या अनियमित अटेंडेंस होती है। माइग्रेसन, आर्थिक कठिनाई और शैक्षिक सपोर्ट की कमी जैसे कारण इस गिरावट में योगदान दे सकते हैं।

शहरी विद्यालयों में ग्रामीण विद्यालयों की तुलना में सभी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बेहतर है, शायद बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और लर्निंग रिसोर्स के कारण। फिर भी, कुल पैटर्न UDISE+ के नतीजों से मेल खाता है, जो लोअर प्राथमिक लेवल पर ज्यादा नामांकन और अपर प्राथमिक ट्रांज़िशन पॉइंट्स पर धीरे-धीरे कमी दिखाता है। डेटा शिक्षा में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, खासकर हायर प्राथमिक कक्षा में, लगातार सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पर जोर देता है। सभी प्राथमिक ग्रेड में लगातार नामांकन बनाए रखने के लिए रेगुलर मॉनिटरिंग, रेमेडियल टीचिंग और माता-पिता की भागीदारी ज़रूरी है।

तालिका 4: वर्ष के अनुसार नामांकन प्रवृत्ति (पिछले पाँच वर्ष)

वर्ष	ग्रामीण नामांकन	शहरी नामांकन
2019-20	152	164
2020-21	155	168
2021-22	160	172
2022-23	165	178
2023-24	168	182

तालिका 4 पिछले पाँच शैक्षिक सालों में ग्रामीण और शहरी प्राथमिक शालाओ में साल-दर-साल प्रवेश के ट्रेंड को दिखाता है। डेटा से पता चलता है कि दोनों क्षेत्रों में प्रवेश में लगातार बढ़ोतरी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश 2019-20 में 152 विद्यार्थियों से बढ़कर 2023-24 में 168 विद्यार्थियों हो गया, जबकि इसी दौरान शहरी क्षेत्रों में प्रवेश 164 से बढ़कर 182 विद्यार्थियों हो गया। यह लगातार बढ़ोतरी शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत शैक्षिक नीतियों के प्रभावी ढंग से लागू होने को दिखाती है। COVID-19 महामारी जैसी चुनौतियों के बावजूद, प्रवेश में खास गिरावट नहीं आई, जो शिक्षा के प्रति मज़बूत संस्थागत समर्थन और माता-पिता की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

समग्र शिक्षा अभियान, मिड-डे मील योजना और डिजिटल प्रवेश ड्राइव जैसी सरकारी पहलों ने विद्यार्थियों के प्रवेश को बनाए रखने में योगदान दिया है। बेहतर कनेक्टिविटी और जागरूकता के कारण शहरी क्षेत्रों में ग्रोथ दर थोड़ी ज्यादा है। हालाँकि, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ोतरी भी ध्यान देने लायक है और यह स्कूली शिक्षा सुविधाओं तक बेहतर पहुंच का संकेत देती है। यह बढ़ता हुआ ट्रेंड मध्य प्रदेश के आधिकारिक UDISE+ डेटा से मेल खाता है, जो प्राथमिक लेवल पर ग्रॉस नामांकन रेश्यो में धीरे-धीरे सुधार दिखाता है। इस तरह, साल-दर-साल विश्लेषण इस बात की पुष्टि करता है कि नीतिगत हस्तक्षेपों और इनोवेटिव योजनाओं ने अध्ययन क्षेत्र में प्रवेश के पैटर्न पर सकारात्मक प्रभाव डाला है।

तालिका 5: विद्यालय प्रबंधन प्रबंधन के प्रकार के आधार पर नामांकन

विद्यालय के प्रकार	ग्रामीण	शहरी	कुल
सरकारी विद्यालय	150	158	308
सहायता प्राप्त/निजी विद्यालय	18	24	42
कुल	168	182	350

तालिका 5 विद्यालय प्रबंधन के टाइप के आधार पर नामांकन वितरण दिखाता है। ज्यादातर विद्यार्थियों सरकारी प्राथमिक शालाओ में पढ़ते हैं, कुल 350 में से 308 विद्यार्थियों। ग्रामीण क्षेत्रों में 150 विद्यार्थियों सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह संख्या 158 है। सहायता प्राप्त या प्राइवेट विद्यालयों में नामांकन काफी कम है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। सरकारी विद्यालयों का यह दबदबा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के उद्देश्यों को पूरा करने में उनकी मुख्य भूमिका को दिखाता है। मुफ्त शिक्षा, किताबें, यूनिफॉर्म और मिड-डे मील योजना सरकारी विद्यालयों को आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए पसंदीदा विकल्प बनाती हैं।

तालिका 6: शैक्षिक योजनाओं का अकादमिक उपलब्धि पर प्रभाव

शैक्षिक सहायता	उच्च	औसत	निम्न	कुल
शैक्षिक योजनाओं के लाभार्थी	22 (44%)	20 (40%)	8 (16%)	50
गैर-लाभार्थी / अनियमित सहायता	6 (20%)	14 (46.7%)	10 (33.3%)	30
कुल	28	34	18	80

तालिका 6. प्राथमिक शालाओ के विद्यार्थियों की शैक्षिक परफॉर्मेंस पर शिक्षण प्लान और योजना के असर को दिखाता है।

जिन विद्यार्थियों को फ्री टेक्स्टबुक, मिड-डे मील, यूनिफॉर्म और रेमेडियल टीचिंग जैसे शिक्षण प्लान से रेगुलर फायदा हुआ, उनमें से 44% ने अच्छी शैक्षिक परफॉर्मेंस दिखाई, जबकि सिर्फ 16% कम परफॉर्मेंस वाली कैटेगरी में आए। इसके उलट, जिन विद्यार्थियों को अनियमित या बहुत कम शिक्षण सपोर्ट मिला, उनकी शैक्षिक परफॉर्मेंस काफी कम रही। इन विद्यार्थियों में से सिर्फ 20% ही अच्छा परफॉर्म करने वाले थे, जबकि 33.3% विद्यार्थियों की परफॉर्मेंस कम थी। यह तुलना साफ तौर पर शिक्षण प्लान और शैक्षिक परफॉर्मेंस के बीच एक पॉजिटिव रिश्ता दिखाती है।

4.2 माध्य प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक संसाधन

प्रस्तुत शोध अध्ययन का प्रथम उद्देश्य "माध्य प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के संदर्भ में प्राथमिक विद्यालयों के भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन एवं अन्य सुविधाओं का अध्ययन" करना था। इस जाँच सूची से प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण आवृत्ति एवं प्रतिशत के माध्यम से किया गया है। माध्य प्रदेश के तीन क्षेत्रों- पश्चिमी माध्य प्रदेश, मध्य माध्य प्रदेश, एवं पूर्वी माध्य प्रदेश में स्थित प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक संसाधनों से सम्बन्धित संकलित आँकड़ों का विवरण तालिका 7 में प्रस्तुत है।

तालिका 7: माध्य प्रदेश राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक संसाधन

क्र.स.	भौतिक संसाधन		पश्चिमी माध्य प्रदेश		मध्य माध्य प्रदेश		पूर्वी माध्य प्रदेश		योग		
			हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	
1	प्रधानाध्यापक कक्ष	F	11	09	16	04	18	02	45	15	
		%	55	45	80	20	90	10	75	25	
2	कार्यालय कक्ष	F	02	18	06	14	06	14	14	46	
		%	10	90	30	70	30	70	23-33	76-67	
3	कक्षा-कक्ष की संख्या	दो कक्षा-कक्ष	F	08		04		04		16	
			%	40		20		20		26-67	
		तीन कक्षा-कक्ष	F	08		10		12		30	
			%	40		50		60		50.00	
		चार कक्षा-कक्ष	F	03		05		03		11	
			%	15		25		15		18.33	
		पाँच कक्षा-कक्ष	F	01		01		01		03	
			%	05		05		05		05.00	
4	पुस्तकालय कक्ष	F	03	17	03	17	03	17	09	51	
		%	15	85	15	85	15	85	15	85	
5	रसोई घर	F	12	08	14	06	16	04	42	18	
		%	60	40	70	30	80	20	70	30	
6	बाउंड्री वॉल	F	17	03	14	06	16	04	47	13	
		%	85	15	70	30	80	20	78.33	21.67	
7	छात्र एवं छात्राओं के लिए पृथक्-पृथक् शौचालय की सुविधा	F	15	05	18	02	18	02	51	09	
		%	75	25	90	10	90	10	85	15	
8	फर्नीचर- अध्यापकों हेत	F	18	2	20	00	20	00	58	02	
		%	90	10	100	00	100	00	96.67	3.33	
9	फर्नीचर- छात्रों हेत	F	04	16	11	09	09	11	24	36	
		%	20	80	55	45	45	55	40	60	
10	विद्युत सुविधा- लाइट	F	16	04	18	02	14	06	48	12	
		%	80	20	90	10	70	30	80	20	
11	पंखा	F	18	02	17	03	15	05	50	10	
		%	90	10	85	15	75	25	83.33	16.67	
12	टाट-पट्टी	F	18	02	12	08	12	08	42	18	
		%	90	10	60	40	60	40	70	30	
13	दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री (चाट रू, मॉडल, ग्लोब, मानचित्र इत्यादि)	F	20	00	20	00	20	00	60	00	
		%	100	00	100	00	100	00	100	00	
14	श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री (रेडियो, टेप रिकार्डर इत्यादि)	F	07	13	14	06	16	04	37	23	
		%	35	65	70	30	80	20	61.67	38.33	
15	दृश्य-श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री (प्रोजेक्टर, कम्प्यूटर, टेलीविजन इत्यादि)	F	00	20	03	17	00	20	03	57	
		%	00	100	15	85	00	100	05	95	
15	खेल का मैदान	F	13	07	14	06	15	05	42	18	
		%	65	35	70	30	75	25	70	30	
17	खेल सामग्री	F	17	03	20	00	19	01	56	04	
		%	85	15	100	00	95	5	93.33	6.67	
18	प्राथमिक चिकित्सा पेटी	F	20	00	14	06	16	04	50	10	
		%	100	00	70	30	80	20	83.33	16.67	
19	प्राथमिक उपचार हेतु उपकरण व दवाएँ	F	12	08	11	09	16	04	39	21	
		%	60	40	55	45	80	20	65	35	

5. निष्कर्ष

ग्वालियर शिक्षा जिले के सिरोल विकास खंड के चुने हुए ग्रामीण और शहरी प्राथमिक स्कूलों से इकट्ठा किए गए डेटा के सांख्यिकीय विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर, निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए हैं। यह अध्ययन शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के लागू होने के संदर्भ में किया गया था, जिसमें नामांकन, ठहराव, शैक्षणिक उपलब्धि, और शैक्षिक योजनाओं और सार्वजनिक भागीदारी की भूमिका पर विशेष ध्यान दिया गया था।

6. संदर्भ

1. पीटरसन ड्र. एस. शरणार्थी शिक्षा: वैश्वीकरण का चौराहा। एजुकेशनल रिसर्च. 2016;45(9):473-482।
2. नबिसन जी. बी., बॉल एस. जे. भारत में गरीबों की वकालत नेटवर्क, पसंद और निजी स्कूली शिक्षा। वैश्वीकरण के युग में शिक्षा और सामाजिक न्याय में। रूटलेज इंडिया।; 2020, पृष्ठ 161-186।
3. ऐथल पी. एस., ऐथल एस. भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्ताव 2019 में उच्च शिक्षा का विश्लेषण और इसकी कार्यान्वयन चुनौतियाँ। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ एप्लाइड इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट लेटर्स (IJAEML). 2019;3(2):1-35।
4. कुमार के, प्रकाश ए, सिंह के. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत में भविष्य की पीढ़ी को बदलने के लिए एक मार्गदर्शक कैसे हो सकती है। जर्नल ऑफ़ पब्लिक अफेयर्स. 2021;21(3):e2500।
5. शाह पी. बोलने के लिए जगहें: फोटोवॉयस और भारत में लड़कियों की शिक्षा की पुनर्कल्पना। कम्पैरेटिव एजुकेशन रिव्यू. 2015;59(1):50-74।
6. बर्दे डी, कपित ए, वाहल आर. एल, गुवेन ओ, स्कार्पेटिंग एम. आई. आपात स्थितियों में शिक्षा: सिद्धांत और अनुसंधान की समीक्षा। रिव्यू ऑफ़ एजुकेशनल रिसर्च. 2017;87(3):619-658।
7. अफरीदी एफ, मुखोपाध्याय ए, साहू एस. भारत में महिला श्रम बल भागीदारी और बाल शिक्षा: राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से साक्ष्य। IZA जर्नल ऑफ़ लेबर एंड डेवलपमेंट. 2016;5(1):7।
8. फैरेल पी. भारत में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना: अनुसंधान और अभ्यास के लिए एक ढांचा। जर्नल ऑफ़ द इंडियन एकेडमी ऑफ़ एप्लाइड साइकोलॉजी. 2016;42(1):18-29।
9. शेफ़र एस. समावेशी शिक्षा: समानता और सामाजिक न्याय के लिए एक पूर्व शर्त। एशिया पैसिफिक एजुकेशन रिव्यू. 2019;20(2):181-192।
10. श्रीवास्तव एम, डी बोअर ए, पिजल एस. जे. विकासशील देशों में समावेशी शिक्षा: पिछले 10 वर्षों में इसके कार्यान्वयन पर एक करीब से नज़र। एजुकेशनल रिव्यू. 2015;67(2):179-195।
11. ली एस. के., किम एन. कोरिया के स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा: संदर्भ, विकास और चुनौतियाँ। जापानी जर्नल ऑफ़ एनवायरनमेंटल एजुकेशन. 2017;26(4):4_7-14।
12. एसियो, एस. ओ. सोरोटी नगर पालिका के चुनिंदा सरकारी प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की औद्योगिक कार्यवाही का छात्रों के शिक्षा के अधिकार पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन (डॉक्टरल शोध प्रबंध, युगांडा मार्टियर्स यूनिवर्सिटी); 2018।

13. घोष, एस. एस. भारतीय प्राथमिक स्कूलों में शैक्षिक समानता पर सामाजिक-आर्थिक कारकों के प्रभाव का आकलन: एक संरचनात्मक मॉडलिंग परिप्रेक्ष्य। मेज़रमेंट: इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड पर्सपेक्टिव्स. 2025;23(3):272-282।
14. वुडहेड एम, फ्रॉस्ट एम, जेम्स जेड. क्या निजी स्कूली शिक्षा में वृद्धि सभी के लिए शिक्षा में योगदान देती है? आंध्र प्रदेश, भारत में एक अनुदैर्घ्य, दो समूह अध्ययन से साक्ष्य। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ एजुकेशनल डेवलपमेंट. 2013;33(1):65-73।
15. बिनेस एच, लेई पी. विकलांगता और शिक्षा: समावेशन की सबसे लंबी सड़क। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ एजुकेशनल डेवलपमेंट. 2011;31(5):419-424।

Creative Commons (CC) License

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.